I/452423/2023

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 को सम्पन्न उ0प्र0 राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की 12वीं विशेष बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के द्वारा वर्चुअली प्रतिभाग किया गया।

2. बैठक में निम्नवत् बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

बिन्दु संख्या-1

जनपद अयोध्या में गुप्तारघाट के समीप पंचवटी द्वीप/राम अनुभव केन्द्र के निर्माण एवं संचालन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना 2016 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किया जाना।

बिन्दु संख्या-2

जनपद वाराणसी में गंगा नदी के उसपार (रामनगर साइट) टेंट सिटी के निर्माण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना 2016 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किया जाना।

3. **बैठक में गहन विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् मत स्थिर किया गया:-**

(1) परियोजना निदेशक/सदस्य समन्वयक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 द्वारा राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउंसिल के समक्ष यह अवगत कराया गया कि यह प्रस्ताव अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के द्वारा तैयार किया गया है, जो जिला गंगा समिति, अयोध्या से पारित होकर पत्र दिनांक 31.10.2023 के द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के अनुसार अयोध्या में गुप्तारघाट के समीप सरयू नदी में द्वीप क्षेत्र में राम अनुभव केन्द्र एवं पंचवटी द्वीप के अस्थायी निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें किसी भी प्रकार की आर.सी.सी. एवं पी.सी.सी. का उपयोग नही होगा। स्ट्रक्चर्स के निर्माण में बांस व कुश आदि का प्रयोग होगा। इसका संचालन वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात माह अक्टूबर से जून तक होगा तथा वर्षा ऋतु मे इन अस्थायी स्ट्रक्चर्स को Dismantle कर दिया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 के पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित किया गया था, जिसपर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पत्र दिनांक 15.11.2023 के द्वारा अपेक्षा की गई कि बाढ़ सुरक्षा, स्ट्रक्चरल सुरक्षा तथा अन्य नियामक विभागों जैसे-नगर निगम, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त अधिसूचना 2016 की धारा-6 के अन्तर्गत प्रस्ताव राज्य गंगा समिति के माध्यम से प्रेषित करें। इस क्रम में जिला गंगा समिति, अयोध्या के पत्र दिनांक 01.12.2023 के द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई प्रतिबद्धता एवं प्रस्तावित परियोजना के महत्व पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से राज्य गंगा समिति के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रबल संस्तुति करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा वांछित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लिया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियामक विभागों से अपेक्षित सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण करवा ली जायें।

Scanned with OKEN Scanner

2. (कार्यवाही-अयोध्या विकास प्राधिकरण/जिला गंगा समिति,अयोध्या)

परियोजना निदेशक/सदस्य समन्वयक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 द्वारा राज्य गंगा समिति/ गवर्निंग काउंसिल के समक्ष यह अवगत कराया गया कि वाराणसी में गंगा नदी के उस पार (रामनगर साइड) टेंट सिटी के निर्माण का प्रस्ताव वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें समस्त सुविधाएं अस्थाई होंगी, कोई स्थायी निर्माण नही होगा, आंतरिक आवागमन के लिए चेकर्ड प्लेट्स का उपयोग होगा। सीवेज का निस्तारण आधुनिक तकनीक के माध्यम से रामनगर एसटीपी में किया जायेगा। नगर निगम वाराणसी के माध्यम से समुचित रूप से ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण व प्रबंधन किया जायेगा। टेंट सिटी का संचालन माह अक्टूबर से जून तक ही होगा, वर्षा ऋतु के दौरान इसका संचालन नही होगा।

उक्त प्रस्ताव की अनापत्ति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से प्राप्त किये जाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पत्र दिनांक 26.10.2023 के द्वारा अपेक्षा की गई कि वाराणसी विकास प्राधिकरण गत वर्ष 2022 का Environmental Impact Assessment Study एवं Flood plain demarcation notification उपलब्ध कराये तथा अन्य नियामक विभागों जैसे-नगर निगम, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। पत्र दिनांक 26.10.2023 में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त अधिसूचना-2016 की धारा-6 के अन्तर्गत प्रस्ताव जिला गंगा समिति तथा राज्य गंगा समिति के माध्यम से प्रेषित किया जाए। तदक्रम में प्रस्ताव को जिला गंगा समिति, वाराणसी से पारित कराने के उपरांत वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा पत्र दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से उक्त प्रस्ताव राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध कराया गया है।

निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित अस्थाई टेंट सिटी अध्यात्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अतः परियोजना की महत्ता पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से राज्य गंगा समिति के द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रवल संस्तुति करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पत्र दिनांक 26.10.2023 के द्वारा वांछित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लिया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियामक विभागों से अपेक्षित सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण करवा ली जायें।

(कार्यवाही-वाराणसी विकास प्राधिकरण/जिला गंगा समिति वाराणसी, नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी)

उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally Signed by अनुराग श्रीवास्तव
Date: 19-12-2023 18:04:39
Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner

File No.[illegible]

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2
संख्या-1159 /76-2-2022-05एनजी/2020
लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
10. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) लखनऊ।
11. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0।
12. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, अयोध्या।
13. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वाराणसी।
14. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
15. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
16. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 शासन।
17. नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी।

Digitally Signed by प्रवीण मिश्र
(प्रवीण मिश्र)
Date: 20-12-2023 11:57:37
विशेष सचिव
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner